



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39717-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 475 वर्ष 2026

कुंवर नरेन्द्र कुमार सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: राम भूषण दिवाकर, रत्नेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: मीनाक्षी सिंह (ए.सी.एस.सी.)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याची द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थीगण को बेंनेट क्लब, कसया, जनपद कुशीनगर से प्राप्त आय का प्रकटीकरण करने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. याचिका के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याची उक्त क्लब का सचिव रहा है, जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, तथा प्रतीत होता है कि उक्त सोसाइटी से संबंधित विवादों के कारण एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है, जिसके संबंध में यह दावा किया गया है कि क्लब की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जो कि याची द्वारा ही प्रस्तुत रिट - सी संख्या 60696 वर्ष 2012 में विचाराधीन है।
3. याचिका की सामग्री का अवलोकन करने के उपरांत, हमें वर्तमान याचिका में किसी प्रकार का जनहित परिलक्षित नहीं होता है, अतः यह याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक : 23 फरवरी, 2026

मुकेश पाल/साजिया

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”